न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बुलन्दशहर।

विपुल गर्ग

बनाम

सरकार

वाद सं0 2015111701673

धारा – 143 ज0वि0अधि0

मौजा – नगला करन परगना बरन

निर्णय

प्रार्थी विपुल गर्ग पुत्र विजय गर्ग निवासी ज्ञानलोक कॉलौनी बुलन्दशहर परगना बरन द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ग्राम नगला करन की भूमि खाता सं0 164 गाटा सं0 456 रकवा 1.0120हे0 गुलाबराय चन्द्रकलादेवी एजूकेशन ट्रस्ट के नाम खरीदी है जिसका दाखिल खारिज हो चुका है। उक्त भूमि का भूपरिवर्तन कराये जाने का अनुरोध किया गया ह।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम नगला करन परगना बरन तहसील बुलन्दशहर की खतौनी वर्ष 1419–1424फ0 खाता सं0 164 तथा नकल खसरा 1422फ0 गाटा सं0 456 ,जो0च0आकार पत्र 41 व 45 तथा स्थल की फोटो ग्राफ एवं शपथ पत्र दाखिल किये गये है। सहखातेदारों द्वारा सहमति का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से जांच करायी गयी। राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 24.02.2015 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.02.2015 को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया हैं में उल्लिखित किया गया है कि स्थित ग्राम नगला करन परगना बरन के गाटा सं0 456म रकवा 1.0120हे0 को गुलाबराय चन्द्रकला देवी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा सचिव विपुल गर्ग निवासी ज्ञानलोक कॉलौनी बुलन्दशहर व वैभव गर्ग पुत्र राकेश गर्ग निवासी साराय छबीला ने कय किया है जिसका दाखिल खारिज किया जा चुका है। ग्राम नकला करन के गाटा सं0 456म रकवा 1.0120हे0 में भराव कर निर्माण कार्य कर रहे है। कुक्कुट पालन,मतस्य पालन, कृषि, पशुपालन आदि कार्य नही हो रहा है। खाता सं0 164 गाटा सं0 456म रकवा 1.0120हे0 में कृषि न होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम नगला करन परगना बरन तहसील बुलन्दशहर की खतौनी वर्ष 1419–1424फ0 के खाता सं0 164 गाटा सं0 456म रकवा 1.0120हे0 वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। तहसील आख्या में उल्लिखित किया गया हैं कि प्रश्नगत् भूमि में कृषि कार्य, पशुपालन ,कुक्कुट पालन, मतस्य पालन के प्रयोजन में नही लिया जा रहा है। भराव करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के गाटा सं0 456म रकवा 1.0120हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की सुस्तुति की है। आवेदक द्वारा स्वयं अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने शपथ पत्र में कहा है कि प्रश्नगत् भूमि पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी, मतस्य पालन आदि नही किया जा रहा है, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में साढे 12 एकड भूमि से अधिक भूमि नही हैं, प्रश्नगत भूमि धारा 132 ज0वि0अधि0 से बाधितं नही है, धारा 157क,157कक ज0वि0अधि0 से बाधित नही है, प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण नही की गयी है और न ही प्रस्तावित है। तहसील आख्या तथा आवेदक के शपथ पत्र एवं सहखातेदारों के शपथ के आधार पर उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई अडचन प्रतीत नंही होती है।

आदेश

अतः स्थित ग्राम नगला करन परगना बरन तहसील बुलन्दशहर की खतौनी वर्ष 1419–1424फ0 खाता सं0 164 गाटा सं0 456म/1.5510हे0 में से 1.0120हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता हैं। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बुलन्दशहर को निःशुल्क भेजी

Maa Sharda Educational Trust

President Secretary

...थे। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी सदर,
बुलन्दशहर।

दिनांक :–09.03.2015

आज आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

उपजिलाधिकारी सदर,
बुलन्दशहर।

दिनांक :–09.03.2015

सत्य प्रतिलिपि
15/02/19
राजस्व प्रतिलिपिकार
कलेक्ट्रेट, बुलन्दशहर
दिनांक 15-2-19

प्रार्थी का नाम ...... प्रो० ओ० पी० ...
9144
... देने का दिनांक 15-2-19
... दिनांक 15-2-19
15-2-19
400/13

दिनांक ......

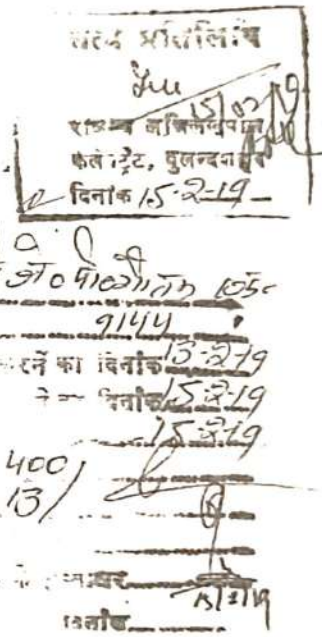

3/13

Maa Sharda Educational Trust

President

Secretary